नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

# झाबुआ-अलीराजपुर में हर गली फैला अवैध शराब का कारोबार, जिम्मेदार मौन

दिलीप सिंह वर्मा

**झाबुआ, 15 सितंबर. मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ और अलीराजपुर जिले में अवैध रूप से देशी, विदेशी और कच्ची शराब की बिक्री का कारोबार लगातार जारी है. आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को इसकी जानकारी होने के बावजूद अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है. शराब के अलावा इन क्षेत्रों में ताड़ी, शिंदा, खजूर की शराब और महुआ शराब भी बड़ी मात्रा में बेचे जाने की बात सामने आती रही है.**

झाबुआ जिले के हर क्षेत्र में खुले आम अवैध शराब सप्लाई होती है. यही हाल अलीराजपुर जिले का है. झाबुआ जिले में अवैध शराब के साथ अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. इनमें सफेद पाउडर और एमडी ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों का नाम सामने आता है. इन नशीले पदार्थों के सेवन से युवाओं की मौत होने के मामले भी सामने आए हैं.

### गुजरात सीमा पर शराब तस्करी

झाबुआ जिले के मदरानी और काकनवानी जैसे गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगे क्षेत्रों में शराब की तस्करी की शिकायतें भी सामने आती रही हैं. राजस्थान की ओर से तथा स्थानीय लाइसेंसी दुकानों से भी शराब गुजरात की ओर अवैध तरीके से भेजी जाती है. इसी वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों की आबादी अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद यहां शराब के ठेके करोड़ों रुपये में जाने की बात कही जाती है.

### आबकारी विभाग ने कई क्षेत्रों को किया चिन्हित

आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार झाबुआ जिले में ऐसे कई क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां अवैध रूप से शराब का विक्रय होता है. विभाग के रिकॉर्ड में ऐसे क्षेत्र भी दर्ज हैं, जहां पहले से अवैध शराब बेचने का इतिहास रहा है. विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में शराब का सेवन अधिक होने के कारण अवैध तरीके से शराब की बिक्री होती है. वहीं, कुछ स्थानों पर लाइसेंसी शराब की दुकानें गांव या क्षेत्र से दूर होने के कारण लोग अवैध माध्यमों से शराब खरीदते है. आबकारी विभाग द्वारा प्रदेशभर में कराए गए सर्वे में ऐसे 1,811 स्थानों को चिन्हित किए जाने की बात सामने आई है, जहां अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती है.

### भूरिया ने लगाए आरोप

कांग्रेस के पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश और जिलों में बड़े स्तर पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और सरकार इस दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है. उन्होंने अवैध शराब के कारण होने वाली घटनाओं को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है.

### कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

पुलिस और आबकारी विभाग को लेकर हमेशा सवाल उठता है कि छोटे लोगों पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन बड़े स्तर पर कभी शिकंजा नहीं कसने से अवैध धंधा फलफूल रहा है.

### ..तो महिलाएं आंदोलन करेंगी

वरिष्ठ नागरिक पेंशनर संगठन की अध्यक्ष शांति वसुनिया ने अवैध शराब के मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो महिलाओं को अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा.

# उज्जैन से सेवा संकल्प शुरू करेंगे नवीन

## इंदौर में स्वामित्व योजना के तहत नई राज्यव्यापी पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे

**प्रशासनिक संवाददाता**

**भोपाल, 15 सितंबर. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी 17 एवं 18 सितंबर को मप्र के प्रवास पर रहेंगे. इस दौरान वे इंदौर और उज्जैन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. नितिन नबीन का भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला मप्र दौरा होगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें आमंत्रित किया था.**

तय कार्यक्रम के हिसाब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 17 सितंबर को दोपहर 1:45 बजे देवी अहिल्याबाई होल्कर विमानतल, इंदौर पहुंचेंगे. उसके बाद दोपहर 2:00 बजे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. दोपहर 2:55 बजे इंदौर के गांधी नगर ग्राउंड में स्वामित्व योजना के तहत नई राज्यव्यापी पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे. इसके बाद सायं 5:05 बजे उज्जैन पहुंचेंगे. उज्जैन पहुंचने के बाद नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान के तहत सायं 6:45 बजे उज्जैन के रामघाट पर शिप्रा आरती, आशीर्वाद का दीया प्रज्ज्वलन में सहभागिता करेंगे. आप रात्रि 8:00 बजे रामघाट पर आयोजित भजन संध्या में भी शामिल होंगे.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 18 सितंबर को प्रात: 4:05 बजे उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होंगे. आप प्रात: 9:30 बजे उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे तथा 10:00 बजे इंदौर विमानतल से पंजाब के लिए रवाना होंगे. यहां बता दें कि एक दिन बाद ही इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे.

### वराह मार्च पर सख्ती, 20 से ज्यादा लोग हिरासत में

**धार.** शहर में मंगलवार को प्रस्तावित वराह मार्च वाहन रैली से पहले धार शहर में पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. जिला प्रशासन द्वारा मार्च की अनुमति निरस्त किए जाने के बावजूद आयोजन की घोषणा के बाद पुलिस ने सनातन प्रहरी समिति से जुड़े लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया.

# पीटीएस के एसआई का गोंड जाति प्रमाण पत्र अमान्य

- **स्कूल रिकॉर्ड में 8वीं तक 'क्रिश्चियन' धर्म का उल्लेख**
- **बाद में गोंड जाति का प्रमाण पत्र लगाने का मामला**

**जबलपुर, 15 सितंबर. पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस) उमरिया में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अमिताभ प्रताप सिंह, जिनका पूर्व नाम अमिताभ थियोफिलिस बताया गया है.**

गोंड जाति का प्रमाण पत्र राज्य उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने अमान्य कर दिया है. समिति ने जांच में प्रस्तुत दस्तावेजों और जबलपुर कलेक्टर-एसपी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया. जांच में सामने आया कि स्कूल रिकॉर्ड में कक्षा आठवीं तक उनका धर्म क्रिश्चियन दर्ज था. बाद के दस्तावेजों में उन्होंने हिंदू धर्म और गोंड जनजाति से जुड़ाव का दावा किया. समिति को गोंड समुदाय, उसकी परंपराओं या संस्कृति से उनके परिवार के संबंध का पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला. जांच में यह भी सामने आया कि जबलपुर एसडीएम कार्यालय के वर्ष 1997-98 के दायरा पंजी में उस जाति प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण का रिकॉर्ड नहीं मिला. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र भी पहले ही निरस्त किया जा चुका था.

समिति के समक्ष शिकायतकर्ता प्रमिला तिवारी उपाध्याय ने आरोप लगाया कि एसआई ने प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की और अपने बच्चों के भी एसटी प्रमाण पत्र बनवाए. उन्होंने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है.

# राहुल के कार्यक्रम को सशर्त मंजूरी

**इंदौर, 15 सितंबर. कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 19 सितंबर को प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को इंदौर विकास प्राधिकरण ने 5 शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है.**

आईडीए ने रीजनल पार्क के सामने स्थित अपना 12 हजार वर्गमीटर मैदान उपलब्ध कराने की बात कही है. सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आयोजकों को खुद संभालनी होगी. कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने आईडीए को 10.08 लाख रुपए जमा किए हैं. कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे. इसके लिए करीब 5 एकड़ क्षेत्र में डोम तैयार किया जा रहा है.

# खजराना गणेश मंदिर में भक्तों का 20 करोड़ का बीमा

## गणेशोत्सव में सुरक्षा कवच में पहली बार बढ़ाई गई बीमा राशि

**नवभारत न्यूज**

**इंदौर, 15 सितबर. खजराना गणेश मंदिर में गणेशोत्सव के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति ने पहली बार 20 करोड़ रुपए की पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है.**

10 दिवसीय गणेशोत्सव में बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने को देखते हुए यह बीमा सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त कवच के रूप में लिया गया है. मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं का बीमा कराया गया है. पॉलिसी की क्लेम राशि 20 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है. उन्होंने कहा कि भगवान गणेश से यही प्रार्थना है कि बीमा का उपयोग करने की जरूरत न पड़े, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं.

# ईडी की जांच में अब आएगी तेजी, एमपी में भी असर

- **4-5 साल की जांच डेढ़ साल में पूरी करने का लक्ष्य**
- **कैडर 60 फीसदी बढ़ेगा, जांच इकाइयां 131 से बढ़कर 241 होंगी**

**नव भारत न्यूज**

**इंदौर, 15 सितंबर. आर्थिक अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच में अब तेजी आने की उम्मीद है. प्रवर्तन निदेशालय ने जांच पूरी करने में लगने वाला समय मौजूदा 4 से 5 साल से घटाकर करीब डेढ़ साल करने का लक्ष्य तय किया है. इसका असर मध्यप्रदेश में चल रही ईडी की जांचों पर भी पड़ सकता है.**

ईडी के 36वें त्रैमासिक क्षेत्रीय अधिकारियों के बेंगलुरु में आयोजित सम्मेलन में जांच व्यवस्था में बड़े बदलावों का रोडमैप तैयार किया. स्वीकृत पदों की संख्या 2029 से बढ़ाकर 3256 की जाएगी.

नई व्यवस्था को 1 जनवरी 2027 से लागू करने का लक्ष्य है. इसके साथ ही कार्यात्मक इकाइयों की संख्या 131 से बढ़कर 241 होगी. देशभर में 50 पीएमएलए जोन और पांच फेमा जोन बनाए जाएंगे. मध्यप्रदेश में ईडी का जोनल कार्यालय भोपाल में और उप-क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में है. ऐसे में नई व्यवस्था का असर प्रदेश में आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच, संपत्ति की कार्रवाई और अभियोजन की गति पर पड़ सकता है.

# फुलेरा विसर्जन करते समय नदी में डूबी बालिका की मौत

- **पांव फिसलने पर बचाने नदी में कूदी हमउम्र मौसी भी डूबी**
- **मां ने बचाया, सिविल अस्पताल में भर्ती**

**नवभारत न्यूज**

**बेगमगंज, 15 सितंबर. हरतालिका तीज पर निर्जला व्रत रखने वाली 17 वर्षीय बालिका की मंगलवार सुबह दुधई नदी में फुलेरा विसर्जन के दौरान डूबने से मौत हो गई.**

पांव फिसलने पर उसे बचाने के लिए उसकी हमउम्र मौसी भी नदी में कूद गई, लेकिन वह भी डूबने लगी. घाट पर मौजूद उसकी मां ने किसी तरह उसे बचा लिया. मौसी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के अनुसार ग्राम पांडाझिर में अपने नाना हीरालाल लोधी के घर करीब एक माह से रह रही शिवानी लोधी पिता शिवराज सिंह लोधी निवासी महुना गूजर, राहतगढ़, सागर ने हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखा था.

# महिला उत्पीड़न में फंसे सीएमओ

## कलेक्टर ने स्वत: संज्ञान लेकर कराई जांच

**नवभारत न्यूज**

**रीवा, 15 सितंबर. चाकघाट नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) और महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच कथित आपत्तिजनक बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया.**

मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने महिला कर्मचारी की औपचारिक शिकायत मिलने से पहले ही एसडीएम को जांच के निर्देश दिए. जांच में प्रथम दृष्टया सीएमओ की भूमिका सामने आने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन के लिए संभागायुक्त कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है.

- **निलंबन की कार्रवाई के लिए कमिश्नर को भेजा प्रस्ताव**

वायरल ऑडियो में कथित तौर पर सीएमओ महिला कर्मचारी से अपने कमरे में दो घंटे साथ रहने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं. महिला के इनकार करने पर नौकरी से हटाने जैसी मानसिक प्रताड़ना की बात भी सामने आने का दावा किया गया है.

**आदेश** | 70-80-90% वेतन नियम रद्द कर हाईकोर्ट ने प्रोबेशन में पूरा वेतन देने के दिए थे आदेश

# प्रोबेशन में 100% वेतन पर सरकार सुको पहुंची

**नवभारत न्यूज**

**भोपाल, 15 सितंबर. मध्यप्रदेश में प्रोबेशन अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों को कम वेतन देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है.**

सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस मांग पर अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है. अब अगली सुनवाई में रोक की मांग पर विचार होगा.

दरअसल, प्रदेश में नई सरकारी नियुक्तियों के दौरान प्रोबेशन अवधि में पहले वर्ष 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 80 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान था. कर्मचारियों ने इस व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उनका तर्क था कि उनसे पूरा काम लिया जा रहा है, इसलिए वेतन भी पूरा मिलना चाहिए. जबलपुर हाईकोर्ट की तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने 12 दिसंबर 2019 के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र और 22 फरवरी 2020 की अधिसूचना सहित संबंधित प्रावधानों को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने 25 नवंबर 2019 के बाद नियुक्त प्रभावित कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि का 100 प्रतिशत वेतन देने और पहले काटी गई राशि लौटाने के निर्देश दिए थे. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के आर्थिक प्रभाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रोक की मांग की है. सरकार का कहना है कि पूरा वेतन देने से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा.

### पूर्व जिला जज गिरिबाला को राहत नहीं

बहू के द्वारा आत्महत्या करने तथा दहेज एक्ट के तहत गिरफ्तार भोपाल की पूर्व

जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार को जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ द्वारा सुनवाई की गयी. सीबीआई की तरफ से सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध किया गया.

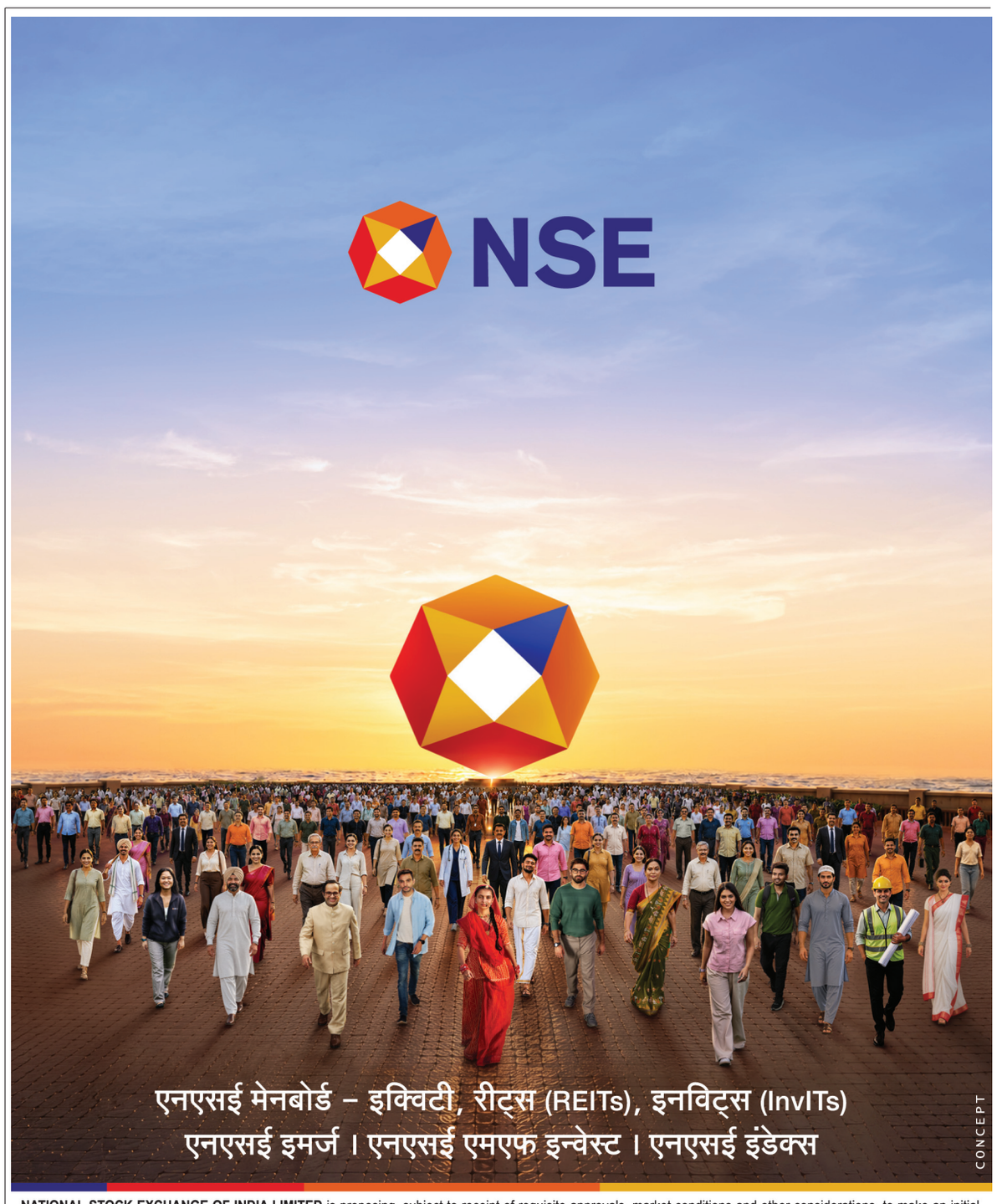


**NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED** is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public Offer of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated September 10, 2026 with the RoC. The RHP is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLMs i.e., Kotak Mahindra Capital Company Limited at https://investmentbank.kotak.com; JM Financial Limited at www.jmfl.com; Morgan Stanley India Company Private Limited at www.morganstanley.com/india; Citigroup Global Markets India Private Limited at https://www.citigroup.com/global/about-us/globalpresence/india; HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited at www.business.hsbc.co.in; J.P. Morgan India Private Limited at www.jpmipl.com; Anand Rathi Advisors Limited at www.anandrathiib.com; Avendus Capital Private Limited at www.avendus.com; Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in; DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in; Equirus Capital Limited (*formerly known as Equirus Capital Private Limited*) at www.equirus.com; HDFC Bank Limited at www.hdfc.bank.in; ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com; IDBI Capital Markets & Securities Limited at www.idbicapital.com; IIFL Capital Services Limited (*formerly known as IIFL Securities Limited*) at www.iiflcapital.com; Motilal Oswal Investment Advisors Limited at www.motilaloswal.com; Nuvama Wealth Management Limited at www.nuvama.com; Pantomath Capital Advisors Private Limited at www.pantomathcapital.com, 360 ONE WAM Limited at www.360.one and SBI Capital Markets Limited at www.sbicaps.com, the website of BSE at www.bseindia.com and the website of our Company at www.nseindia.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section "*Risk Factors*" beginning on page 26 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision but should only rely on the information included in the RHP filed by the Company with the RoC, the SEBI and the Stock Exchange.
The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and referred to in the RHP as "**U.S. QIBs**"; for the avoidance of doubt, the term "U.S. QIBs" does not refer to a category of institutional investor defined under applicable Indian regulations and referred to in the RHP as "QIBs") in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act; and (b) outside of the United States in offshore transactions as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act ("**Regulation S**") and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made.